न्यायालय, भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थनापत्र

-: वादीगण:- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली 1. साबुराम, सुखदेव वगैराह

रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 व 131 LR Act. भू0 राज0 अधिनियम 1956

तारीख रजू. 06/02/2020

उपस्थित:- 1. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक:- 06/01/2021**

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 LR Act. भू0 राज0 अधिनियम 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- रास प्रथम, पटवार हल्का रास- प्रथम, तहसील- जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 1303 रकबा 04-18 बीघा किस्म चाही दोयम डोली बनाम मंदिर ब्रह्माजी वाके देह पुष्कर काश्तकार सांवलराम पुत्र चुतराराम कौम माली साकिन रास के नाम मिशल बंदोबस्त (भू-प्रबंध 2011-2020) अनुसार उक्त खसरा दर्ज हैं। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 1303 रकबा 04-18 बीघा किस्म चाही दोयम भूमि डोली बनाम मंदिर ब्रह्माजी वाके देह पुष्कर काश्तकार सांवलराम पुत्र चुतराराम कौम माली साकिन रास के नाम दर्ज हैं। दिनांक 03.04.1976 के आदेशानुसार नामान्तरणकरण संख्या 1303 में ग्राम रास प्रथम के खसरा नम्बर 1081 में से रकबा 09-00 बीघा श्रवण पुत्र मेंदू साकिन भीलदेवा, छोगा पुत्र राजू, हेमा पुत्र हरदेव गुर्जर साकिन लखासनी को एवं खसरा नम्बर 1081 में से रकबा 09-00 बीघा सुखदेव पुत्र भागू गुर्जर साकिन भीलदेवा को नियमन किया गया। लेकिन नवीन जमाबंदी संवत् 2036-39 बनाते वक्त उक्त नियमन की गई भूमि खसरा नम्बर 1081 रकबा 09-00 बीघा के साथ नामान्तरणकरण संख्या 1303 को ही खसरा नम्बर मानते हुए आबंटियों के खाते में सेवन से दोहरा इन्द्राज कर दिया गया हैं, जो गलत हैं। अतः वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 788 दर्ज खसरा नम्बर 1303/1 रकबा 09-00 बीघा का दोहरा इन्द्राज एवं खाता संख्या 721 मे दर्ज खसरा नम्बर 1303/2 रकबा 09-00 बीघा के दोहरे इन्द्राज को हटाया जाने का निवेदन किया गया। पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट में निवेदन किया कि मूल खसरा नम्बर 1303 का मूल रकबा 04-18 बीघा हैं, जो डोली बनाम मंदिर ब्रह्माजी वाके देह पुष्कर सांवलराम पुत्र चुतराराम कौम माली सा.देह खातेदार के नाम [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मौके पर खसरा नम्बर 1303/1 रकबा 09-00 बीघा [illegible] 1303/2 रकबा 09-00 बीघा का किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं हैं [illegible] आबंटियों का उक्त खसरे नम्बर की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं हैं। तहसीलदार ने भी अपने प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों खसरों का सहवन से दोहरा इन्द्राज कर दिया जो गलत व दोहरी प्रविष्टि हैं तथा लिपिकीय त्रुटि हैं जिसे विलोपित किया जाना उचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम के खसरा नम्बर 1303 रकबा 04-12 बीघा किस्म चाही दोयम होली बनाम मंदिर ब्राह्य जी वाके देह पुष्कर के नाम मिसल बन्दोबस्त से चला आ रहा है जो वर्तमान में भी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2032-2035 ग्राम रास प्रथम के अंकन अनुसार खसरा संख्या 1081 के कुल रकबा में से श्रवण पुत्र मेन्दू, छोगा पुत्र राजू, हेमा पुत्र हरदेव, को 09-00 बीघा तथा सुखदेव पुत्र भागू को रकबा 09-00 बीघा भूमि नियमन की गई थी, जो नामान्तरण संख्या 1303 द्वारा आंवटितयों के नाम दर्ज कि गई लेकिन आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2036-2039 तहरीर करते समय उक्त प्रविष्टियों के साथ-साथ नामान्तरण संख्या 1303 जिसके द्वारा उक्त आवटितयों का नाम दर्ज किया गया था को आवटितयों के खाते में सहवन से खसरा नम्बर के रूप में दर्ज कर दिया गया तथा जिसमें भूमि का रकबा भी सहवन से अंकित कर दिया गया, जो कि पूर्णतया आधारहीन काल्पनिक एवं त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि खसरा संख्या 1303/1 व खसरा नम्बर 1303/2 वस्तुतः कोई खसरा संख्या था ही नहीं। साथ ही उक्त नवीन प्रविष्टियों के समथर्न में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं थे। अतः ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों जिसके कारण भू अभिलेख दुषित हो जाता है तथा भूमि उपलब्ध नहीं होनें के कारण जो कि थी ही नहीं भू नक्शा तरमीम नहीं की जा सकती तथा ऐसी दशा में DILRMP के अन्तर्गत तकनीकी रूप से लम्बित तरमीम शून्य नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारवान होनें से स्वीकार योग्य है तथा खसरा संख्या 1303/1 व खसरा संख्या 1303/2 की सम्पूर्ण प्रविष्टियां विलोपित किया जाना विधि संगत होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार जैतारण अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसील जैतारण ग्राम-रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम के भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि खसरा संख्या 1303/1 रकबा 09-00 बीघा एवं खसरा संख्या 1303/2 रकबा 09-00 बीघा को विलोपित किये जानें का निर्देश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 06/01/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)